(वाद संख्या–**4028/17**)

14.02.2020

परिवादी, मुकेश कुमार मुकेश, तत्कालीन दैनिकभोगी आदेशपाल, प्रति कुलपति कार्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वाद्यालय, दरभंगा उपस्थित हैं।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के दिनांक–30.04.2010 से दैनिक पारिश्रमिक का ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि तत्कालीन माननीय उपकुलपति के आदेश से वह दिनांक–30.04.2010 से प्रति कुलपति कार्यालय/आवास पर रु0 100 प्रति दिन की दर से दैनिकभोगी आदेशपाल के रूप में जून, 2017 तक कार्य किया। उसे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मई, 2010 से जुलाई, 2010 तक का कुल 12,400/– रुपये दैनिक पारिश्रमिक, पंजाब नेशनल बैंक, एल0एम0एन0यू0, कामेश्वर नगर, दरभंगा, बिहार के चेक संख्या–488024 द्वारा भुगतान भी किया गया। अगस्त, 2010 से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसे दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वह लगातार जून–2017 तक विश्वविद्यालय में दैनिक भोगी के रूप में कार्य करता रहा है। बकाया दैनिक पारिश्रमिक के भुगतान हेतु परिवादी द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन भी दिया जाता रहा है।

परिवादी की ओर से दाखिल कागजातों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के वित्त पदाधिकारी द्वारा दिनांक–06.06.2015 को किये गये ‘‘नोटिंग’’ में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि परिवादी दैनिकभोगी के रूप में उप कुलपति के आदेश से दिनांक–30.04.2010 से संतोषजनक काम कर रहा है तथा उसे पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 100/– प्रतिदिन की दर से दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान भी किया गया है तथा उसका दिनांक–01.09.2011 से दैनिक पारिश्रमिक बकाया है।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा के कुल सचिव ने अपने पत्रांक–C/P10/6707/19, दिनांक–24.05.2019 द्वारा आयोग को प्रतिवेदित किया है कि परिवादी दिनांक–20.10.2018 से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हैं तथा उक्त तिथि से उसे नियमानुसार परिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। **कुल सचिव द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–20.10.2018 के पूर्व के कार्य करने से संबंधित कोई दस्तावेज/रेकर्ड नियमानुसार नहीं रहने के कारण उसे भुगतान किया जाना संभव नहीं है।**

परिवादी की ओर से दाखिल कागजातों, जिसकी प्रति पूर्व में विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आयोग द्वारा भेजी गयी थी, के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी 100/– रुपये प्रतिदिन की दर से विश्वविद्यालय में दैनिकभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था, जिसका समर्थन परिवादी की ओर से उपलब्ध कराये गये विश्वविद्यालय के एक संचिका के नोटसिट से भी होता

है। उक्त नोटसिट से यह भी प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के वित्त पदाधिकारी द्वारा भी इस बात का सत्यापन किया गया कि परिवादी का दिनांक–01.09.2011 से दैनिक पारिश्रमिक बकाया है। **इस परिस्थिति में कुल सचिव द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आयोग को परिवादी के दिनांक 20.10.2018 के पूर्व के कार्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने** की आयोग भर्त्सना करता है तथा उन्हें सूचित किया जाता है कि **गलत प्रतिवेदन समर्पित करने के आधार पर आयोग को** भारतीय दंड संहिता की धारा–176 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा।

एक अल्प वेतन भोगी दैनिक भोगी मजदूर से कार्य लेकर उसके पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाना उसके मानवाधिकार के अतिक्रमण की परिधि में आता है।

परिवादी की ओर से दाखिल कागजातों से आयोग पूर्णतः इस तथ्य से संतुष्ट है कि तत्कालीन उप कुलपति के आदेश से रु0100/– प्रतिदिन की दर से परिवादी दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में प्रति कुलपति के कार्यालय/आवास में कार्यरत था।

अतः उक्त के आलोक में **कुल सचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा नगर, दरभंगा को यह अनुशंसा की जाती है कि वह परिवादी मुकेश कुमार मुकेश के सभी बकाया दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान दिनांक–22.04.2020 तक सुनिश्चित करते हुए, दिनांक– 28.04.2020 के पूर्व उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें अन्यथा आयोग को उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने को वाध्य हो जाना पड़ेगा।**

कुल सचिव को भेजे जाने वाले पत्र के साथ आज पारित आदेश के साथ पृ0–93–42/प0 की प्रति भी संलग्न कर दिया जाय साथ–ही–साथ आदेश की प्रति के साथ परिवादी को भी तदनुसार सूचित कर दिया जाय।

दिनांक 05.05.2020 को अग्रतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित किया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक